कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला बालोद (छ.ग.)

ई-मेलआईडी- dpsw.baalod@gmail.com

क्रमांक/ 1013 /स.क./2020-21

बालोद, दिनांक 21 /09/2020

प्रति,

समस्त महाविद्यालयन प्राचार्यगण,
(तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग)
जिला-बालोद (छ.ग.)

For NB

22.09.2020

विषयः- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय योजना।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते है, जिन्हें सबंल प्रदान करने के लिए तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है।

योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार होगी-

आवश्यक पूर्ति

1) योजना की पात्रता :-

1. 40% या उससे अधिक के निःशक्तजन।
2. आवेदक छत्तीसगढ का निवासी हो।
3. आई.टी.आई / पोलिटेक्निक / स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) में नियमित विद्यार्थी।
4. चिकित्सा / तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत् नियमित विद्यार्थी।

2) योजनान्तर्गत लाभः-

1. आई.टी.आई. / पोलिटेक्निक / स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
2. चिकित्सा / तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययरत् विद्यार्थियों को राशि 12000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

3) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) चिकित्सा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन कर रहें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाईन आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है।
2. आवेदन ऑनलाईन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ ऑफलाईन आवेदन संयुक्त / उपसंचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। संयुक्त / उपसंचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय का दायित्व होगा कि वे ऑनलाईन प्रविष्ट करें। (ऑफलाईन आवेदन प्रारूप एक संलग्न अनुसार है।)
3. निःशक्तजनों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेंडिकल बोड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) चिकित्सा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु महाविद्यालयीन / संस्था के प्राचार्य / प्रमुख से नियमित छात्र होने को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

प्रो० रश्मि सिंह आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें

22.09.2020

D:\File\File No. 08 क्षितिज अपार संभावनाएं\Shitij Apar Sambhavnaye Latter.docx

Scanned with CamScanner

च्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्रों को उतने ही वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जितने वर्ष का पाठ्यक्रम हो।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त महाविद्यालयीन के प्राचार्य विभिन्न में अध्ययरत् नियमित निःशक्त विद्यार्थियों को इस योजना से अवगत कराते हुए कार्यालय चालक समाज कल्याण विभाग, जिला बालोद को लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची वांछित दस्तावेजों हत 30 अक्टूबर 2020 के भीतर उपलब्ध करायें।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 1814 / स.क. / 2020–21 बालोद, दिनांक 21 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner